

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा  
पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 137ए/2021

प्रार्थी :- बोणाराम पुत्र खीमाराम जाति भील निवासी रमणिया  
तह0 सिवाना , जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :- लवण विभाग राजस्थान सरकार ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :- 1 श्री हरिराम चौधरी प्रार्थी वकील

2. परोकार सरकार

आदेश

दिनांक :-09.07.2021



प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा साम्मरा पटवार क्षेत्र खेड़ तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 272/26 रकबा 7-05 बीघा में आवागमन हेतु खसरा संख्या 288/27 रकबा 197-13 बीघा में संलग्न नजरी नक्शों परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ए से बी तक बरंग लाल के रास्ता 30 फीट आम रास्ता तक आवागमन एवं कृषि उपयोग करवाना चाहते हैं।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 11.06.2021 नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। सरकारी परोकार उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर दिनांक 16.06.2021 को जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1057 दिनांक 23.06.2021 की न्यायालय में दिनांक 23.06.2021 को प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 2304/930 रकबा जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा न0 927, 929 में से चाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की है जो अधिक निकट एवं उपयुक्त है मौके पर खाली एवं विवादरहित है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान वर्तमान डी0 एल0सी0 दर 392040/रूपये प्रति बीघा है। मौके पर 30 फीट के रास्ते हेतु कुल रकबा क्रमशः 05 बिस्वा भूमि बनती है। जिसके अनुसार कुल राशि दुगुनी की दर से 196100/रूपये बनते हैं।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा साम्मरा की संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया, बाद अवलोकन तहसीलदार रिपोर्ट सरहद मौजा साम्मरा पटवार क्षेत्र खेड़ तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 272/26 रकबा

उपखण्ड/अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

*(Signature)*



7-05 बीघा मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 288/27 रकबा 197-13 बीघा में से 05 बिस्वा संलग्न नजरी नक्शें परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ए से बी तक बरंग लाल के रास्ता 30 फीट आम रास्ता तक आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान वर्तमान डी0 एल0सी0 दर 392040/ रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ता का कुल रकबा कमशः 05 बिस्वा भूमि बनती है। जिसके अनुसार कुल राशि दुगुनी की दर से 196100/ रूपये बनते है। चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा साम्भरा पटवार क्षेत्र खेड़ तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 272/26 रकबा 7-05 बीघा मे आवागमन हेतु आवेदित खसरा संख्या 288/27 रकबा 197-13 बीघा में से 05 बिस्वा संलग्न नजरी नक्शें परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ए से बी तक बरंग लाल के रास्ता 30 फीट आम रास्ता तक आवागमन हेतु जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान वर्तमान डी0 एल0सी0 दर 392040/ रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ता का कुल रकबा कमशः 05 बिस्वा भूमि बनती है। जिसके अनुसार कुल राशि दुगुनी की दर से 196100/ रूपये बनते है। विप्रार्थी को अदा करे, विप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

आदेश आज दिनांक 09.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेश सोनी)  
उप उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)  
उप उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा